

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 24 अप्रैल, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु तैनात संयुक्त निदेशक के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान के लिए कुल रू० 25.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 227यू०टी०डी०/18-99यू०टी०डी०/16 दिनांक 22.03.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू० 120.75 लाख के सापेक्ष कुल रू० 25.00 लाख (रू० पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1)- स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय परिवहन निदेशालय में तैनात कर्मियों के वेतन व भत्तों के रूप में नियमानुसार देय धनराशि के भुगतान हेतु किया जायेगा।
- (2)- उक्त धनराशि का कोई भी अंश आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा तथा वेतन भत्तों के लिए प्रतिमाहों की वास्तविक आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (3)- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यायवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग का दे दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-07 नगरीय परिवहन निदेशालय-01 वेतन" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय



(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 190/2018/1297(1)/नौ-5-2018-119सा/2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
महालेखाकार(लेखापरीक्षा अनुभाग) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
7. सहायक निदेशक(लेखा), नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
9. सुपर यूजर, नगर विकास/कम्प्यूटर सेल
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,



(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।